बिहार सरकार,

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

कार्यालय : वन प्रमंडल पदाधिकारी, अररिया वन प्रमंडल, अररिया।

फोन नं0 — 06453- 224373, e- mail- divfoararia-bih@gov.in (dfoararia@gmail.com)

पत्रांक :– 2564 दिनांक :– 22.12.2023

प्रेषक,

मेघा यादव, बि0व0से0,
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
अररिया वन प्रमंडल, अररिया।

17
08/01/2024

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा),
–सह– नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

विषय :– श्री छोटू कुमार द्वारा अररिया जिलान्तर्गत मझुआ मौजा के खाता संख्या– 16, खेसरा संख्या– 1134, थाना संख्या– 73, थाना– रानीगंज में SH-77 पथ के किनारे HPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् 0.0018 हे0 वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग :– भवदीय पत्र संख्या– FC/74/2022-760 दिनांक 20.10.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय राँची के पत्रांक FP/BR/Approach/157585/2022/1479 दिनांक 06.10.2023 द्वारा की गयी पृच्छाओं का बिन्दुवार निराकरण/उत्तर निम्नवत् है :–

(i) The column (A-1(x) of online) for number of years for which diversion is required could be corrected as 50 years, as per the request of the applicant. (Annexure-01)

(ii) The fresh site Inspection report is attached as Annexure-02.

भवदीय को सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु समर्पित।

अनुलग्न यथोक्त।

विश्वासभाजन,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
अररिया वन प्रमंडल, अररिया।

Annexure - 01

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
अररिया वन प्रमंडल, अररिया।

विषय :— आवेदन संख्या FP/BR/Approach/157585/2022 दिनांक 28.06.2022 एवं भवदीय पत्रांक 2343 दिनांक 14.11.2023 के संबंध में।

प्रसंग :— भवदीय पत्रांक 2368 दिनांक 23.11.2023

महाशय,

आपसे निवेदन पूर्वक कहना है कि मैंने HPCL का पेट्रोल पम्प खोलने के लिए पहुँच पथ निर्माण हेतु आवेदन संख्या FP/BR/Approach/157585/2022 दिनांक 28.06.2022 के द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) –सह– नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार, पटना से सभी आवश्यक कागजात के साथ आवेदन किया था। जिसका स्थलीय निरीक्षण कई चरणों में हुआ परंतु बार–बार त्रुटियाँ आती रही, जिसका त्रुटि निराकरण के लिए भवदीय को पटना नोडल कार्यालय द्वारा भी सूचित किया गया, भवदीय स्तर से स–समय त्रुटि का निराकरण नहीं होने के कारण पहुँच पथ हेतु लगभग 17 माह बीत जाने के बावजूद भी अभी तक त्रुटि का निराकरण भवदीय स्तर से नहीं हुआ है, जिसके कारण काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुझे पथ निर्माण विभाग से 05 वर्षों के लिए रूपये 316308/– जमा करने के बाद हीं पहुँच पथ बनाने के लिए NOC मिला, जिसका भू–स्वामित्व पथ निर्माण विभाग का है, साथ ही अन्य संबंधित विभागों से भी NOC मिला, उसके बाद हीं अपर समाहर्त्ता, अररिया से NOC मिला। अतः अनुमति मिलने के बाद ही मैंने आउटलेट स्थल पर कार्य शुरू किया। कार्य शुरू करने के लिए प्लॉट में जाने के लिए रोड किनारे लगभग 13 फीट गडढ़ा था, जिससे JCB एवं ट्रैक्टर और अन्य साधन को ले जाने में काफी पेरशानी का सामना करना पड़ रहा था, जिसमें जान–माल की नुकसान होने की सम्भावना थी। साथ हीं बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र होने के कारण लगातार बारिश के तेज बहाव से बहुत अधिक मात्रा में मिटटी के कटाव एवं चाहारदिवार भी गिर गया। अतंतः मैं शारिरीक, आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान होकर मिटटी का तेज कटाव को रोकने के लिए छोटी सी ईट का परत सिर्फ जमीन के दोनों साईड बनाया है। जो अस्थायी है वो भी बारिश के कारण कटाव होकर गिर गया है, जो अभी भी स्थल पर वर्तमान में है। रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु मैंने भूमि लीज पर लिया हूँ। जिसका लीज अवधि लीज पत्र में 21 वर्ष 11 महीना अंकित है। जिसे भविष्य में कम से कम 50 वर्ष के लिए लीज विस्तारित करने की बात है, जिसे ऑनलाईन पोर्टल पर Diversion अवधि न्यूनतम 50 वर्ष करते हुए अपडेट करने की आवश्यकता है।

अतः महाशय से मेरा सादर अनुरोध है कि उपरोक्त परेशानी को देखते हुए Diversion अवधि 50 वर्ष के लिए ऑनलाईन पोर्टल पर अपडेट करते हुए त्रुटि का निराकरण कर जल्द से जल्द Diversion हेतु स्वीकृति देने की कृपा की जाय, ताकि मैं स–समय पेट्रोल पम्प संचालित कर सकूँ।

आपका विश्वासी,

Chhotu Kumar
30/11/23

(छोटू कुमार)
पिता– स्व0 मटरू यादव,
ग्राम– बैरख, वार्ड नं0 13,
अंचल– रानीगंज, जिला– अररिया।

2263
2/12/23

Annexure - 02

Sl No. 11 annexure

Office of the Divisional Forest Officer,

Araria Forest Division, Araria, Bihar

SITE INSPECTION REPORT OF DCF

Dated: 23.11.2023

The proposal for establishment of retail outlet dealership of M/S Hindustan Petroleum Corporation Ltd. located on the land procured by the applicant on the Khata number 16, Khasra number 1134, Thana no. 73, Mauza- Majhua, PS- Raniganj to SH-77 Road, Dist- Araria, Bihar. Thus, a proposal for diversion of 0.018 hectare of forest land has been submitted by the applicant under Forest Conservation Act 1980. I have inspected the proposed site on dated 23.11.2023 along with Range Officer, Forbesganj in the presence of applicant Mr. Chhotu Kumar. During the inspection it was found that the proposed site of Petrol Pump is situated along the Raniganj-SH-77 Road which has been notified as 'Protected' vide notification 190 (E) Van Praya. -97/1991 Dated 16.02.1994. During the inspection it was found that the outlet retailer Mr. Chhotu Kumar has constructed the path without obtaining permission from the department. A show cause notice was served to the applicant vide letter number 2368 dated 23.11.23 and reply was submitted by him on 30.11.2023 in which he mentioned that the connecting road was required for the construction of the petrol pump (Annexure 1). A POR 0332 has been lodged and case CC98/2023 has been filed in the court of Chief Judicial Magistrate Araria (Annexure 3). There is one tree found at the site however felling is not required as per the applicant.

During the inspection no endanger/unique species of flora and fauna was observed. Also, no protected archaeological/ heritage site is located near the site as per my knowledge.

This project may be accepted.

Divisional Forest Officer,
Araria Forest Division, Araria

<u>Photographs related to site inspection dated 23.11.23</u>

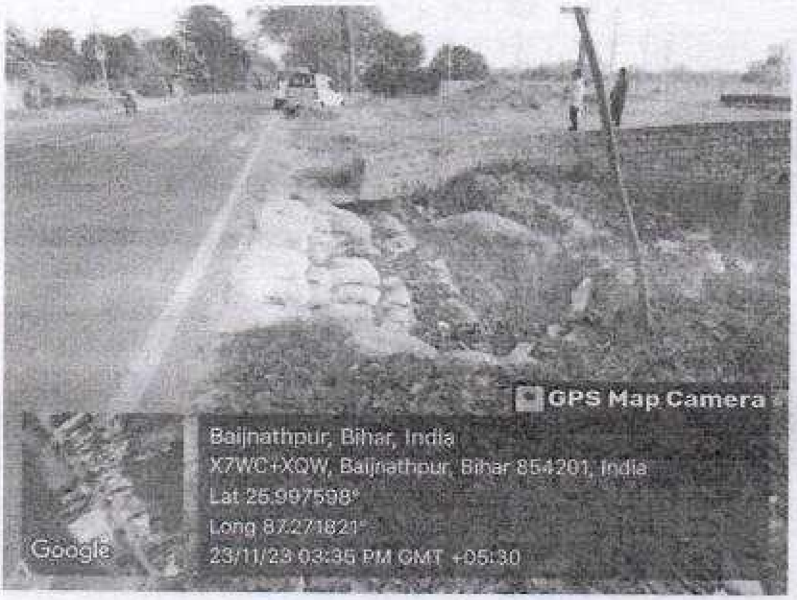

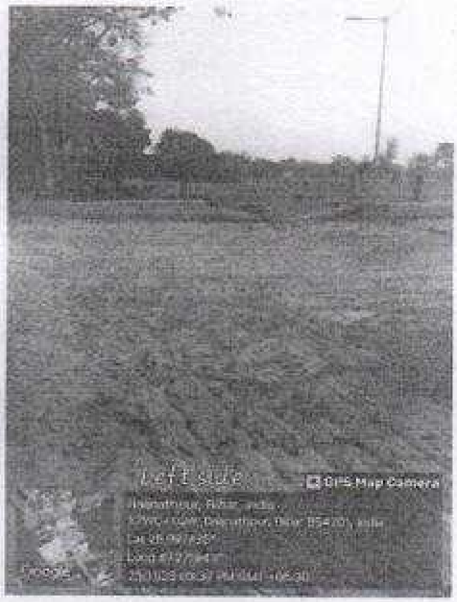

अनुसूची 18 फारम नं0–21 Annexure - 03 CC 98/2023

वन विभाग, बिहार

अररिया वन प्रमण्डल

अपराध रिपोर्ट सं0 ...1428... ता0 ...22-12-23...

अररिया/फारबिसगंज रेंज राजस्व केन्द्र ।

अपराध का स्वरुप

पता चलने की तारीख और समय ...27/11/2023 9:30 A.M.

घटना स्थल ...ग्राम कालाबलुआ S.H. 77 के किनार

किसने पता लगाया ...श्री कुन्दन कुमार सिंह (वनरक्षी, रानीगंज)

वन अधिनियम और भारतीय दण्ड संहिता की धारा का निर्देश ।
(यह वन प्रमण्डल कार्यालय द्वारा भरा जायेगा)

अभ्युक्तों का नाम

नाम	पिता का नाम	निवास स्थान		
		गाँव	थाना	जिला
छोटू कुमार	श्री मटरु यादव	बैरख वार्ड नं. 13	रानीगंज	अररिया

साक्षियों के नाम

① अमरेन्द्र कुमार यादव	शैलेन्द्र यादव	कालाबलुआ	रानीगंज	अररिया
② कुन्दन कुमार सिंह (वनरक्षी रानीगंज)	श्री महेश्वर प्रसाद सिंह	बलुआ वार्ड नं. 01	बलुआ बाजार	सुपौल

तथ्यों की रिपोर्ट पन्ने की दूसरी ओर है ।

अनुसूची 18 फारम नं0–21

विस्तार पूर्वक सभी तथ्यों की पूरी रिपोर्ट
(यह घटना के दूसरे दिन तक ही कर ली जाए)

सेवा में,
माननीय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी
अररिया

द्वारा : उचित माध्यम

विषय : C.C 98/2023 S.H. 77 के किनारे की अधिसूचित वन भूमि में बिना पूर्वानुमति के मिट्टी भरकर पहुँच पथ निर्माण के सम्बन्ध में,

महाशय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में सूचित करना है कि ग्राम- कालाबलुआ S.H. 77 के किनारे 10वें से 11वें किमी० के बीच कालाबलुआ में श्री धौदु कुमार पिता श्री मटरू यादव ग्राम- बैरख वार्ड नं०-13 थाना- रानीगंज जिला- अररिया के द्वारा मिट्टी भराई कर अधिसूचित वन भूमि में पहुँच पथ का निर्माण किया गया है।

इस सम्बन्ध में वनरक्षी रानीगंज श्री कुन्दन कुमार सिंह के द्वारा अपराध प्रतिवेदन संख्या- 0332 दिनांक 27/11/2023 दायर किया गया है।

घटनास्थल की जाँच मेरे द्वारा दिनां 27/11/2023 को संध्या 3:00 बजे की गई घटना सत्य पा. H.P.C.L के पेट्रोल पम्प के निर्माण हेतु 7.5 मी० x 12:00 मी० में दो स्थल पर पहुँच पथ बनाया गया है, S.H. 77 के किनारे की भूमि अधिसूचित वन भूमि है।

अधिसूचना के क्रमांक 21 में दर्ज है घटना स्थल S.H. 77 के पश्चिम भाग में है घटना के सम्बन्ध में श्री धौदु कुमार को दिनांक 10/12/23 को नोटिस किया गया, दिनांक 15/12/2023 को स्वयं उपस्थित होकर बताया कि मैंने आवेदन वनप्रमण्डल कार्यालय में दे रखा है, जिसकी छाया प्रति मुझे उनके द्वारा दी गयी।

वन विभाग, बिहार

अररिया प्रमण्डल

अपराध रिपोर्ट सं0 .142....................................

ता0 ..22.12.23............

(हस्ताक्षर) 22.12.2023

वनों के क्षेत्र पदाधिकारी

फारबिसगंज प्रक्षेत्र

अररिया/फारबिसगंज राजस्व केन्द्र

रेंज

ज्ञापांक सं0...641...........................

ता0...22.12.23...........................

प्रभारी वन संरक्षक...

को जब्ती रिपोर्ट की एक प्रति और आदेशिका जारी करने के लिए एक आवेदन के साथ अग्रसारित ।

(हस्ताक्षर) 22.12.2023

वनों के क्षेत्र पदाधिकारी

फारबिसगंज प्रक्षेत्र

...........................प्रभारी पदाधिकारी

अररिया/फारबिसगंज राजस्व केन्द्र

अभियोजन पत्र स्वीकृत

(हस्ताक्षर)

वन प्रमंडल पदाधिकारी

अररिया वन प्रमंडल, अररिया

ज्ञापांक सं0.......2558..............

ता0.............22.12.23...............

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट...अररिया.................................

को आदेशिका तामील करने के लिए आवेदन और निम्नलिखित दस्तावेजें भेजी जाती हैं :-

(1) जब्ती प्रतिवेदन..

(2) अधिसूचना की प्रति..

(3) अभियोजन प्रतिवेदन...प्रभारी वन संरक्षक

अररिया वन प्रमण्डल

वन प्रमंडल पदाधिकारी

अररिया वन प्रमंडल, अररिया

अनुसूची 18 फारम नं0–21

अभ्यर्थी का बयान

इस सम्बन्ध में वन प्रमण्डल पदाधिकारी सह प्राधिकृत पदाधिकारी को उचित माध्यम से प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। अभियुक्त के द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33'C' का उल्लंघन किया गया है।

अतः अनुरोध है कि अभियुक्त चाँद कुमार पिता - मरू यादव ग्राम - बैरख वार्ड नं० - 13 थाना - रानीगंज - जिला - अररिया पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

[signature]
21/12/23
वन परिसर पदाधिकारी
रानीगंज परिसर
प्रदीप कुमार सिंह
मो० (9572175545)

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी, अररिया वन प्रमंडल, अररिया।

महाशय,

मामला का जाँच किया। सत्य पाया। अतः इसे न्यायार्थ न्यायालय भेजा जा सकता है।

विश्वासभाजन,
दिनेश प्रसाद यादव
22.12.2023
वनों के क्षेत्र पदाधिकारी
फारबिसगंज प्रक्षेत्र

NOTIFICATION

Patna, Dated ____________/ Whereas, the Governor of Bihar is of the opinion that the making of enquiry and record, contemplated under sub-section (3) of the section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. XVI of 1927) will occupy such length of time as in the meantime it may endanger the rights of the State Government.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the provise of the aforesaid sub section and by sub section (1) of section 29 of the said act, the Governor of Bihar is pleased to declare that pending such enquiry and record, the provisions of chapter IV of the said Act be applicable to the lands where there is any tree or not, specified in the schedule [illegible] without abridging or affecting existing rights or the benefits/operations of the Parent Departments such as repairs, broadening of roads, etc.

491

SCHEDULE

No.	Name of the Road	Length in K.M.	Boundary	Name of District
1.	2.	3.	4.	5.
	Hajipur-Chapra-Siwan-Guthani	155.70	On both side of the road demarcation has been done by stones or trenches.	Siwan/Saran/Vaishali
	Hajipur-Mahua-Tajpur-Karpurigram-Samastipur-Darbhanga	109.50	-do-	Vaishali/Samastipur/Darbhanga
	Hajipur-Mahnar-Mohiddinagar-Bachwara	74.40	-do-	Vaishali/Samastipur
	Chapra-Manjhi-Darauli-Guthani	84.40	-do-	Saran/Siwan
	Chapra-Salempur	79.90	-do-	Saran/Siwan/Gopalganj
	Chapra-Rekhaghat-Bakhra-Muzaffarpur	80.00	-do-	Saran/Muzaffarpur
	Muzaffarpur-Darbhanga-Sakri-Pandaul-Madhubani-Rahika-Saurath-Kaluahi-Jainagar	137.00	-do-	Muzaffarpur/Darbhanga/Madhubani
	Sakri-Jhanjharpur-Phulparas-Khutauna-Lokha	77.00	-do-	Madhubani
	Dhodhardiha-Phulparas-Lokhi-Lokha-Ladaniya-Chapkipadma-Jainagar-[illegible]Lakhi-Umgaon-Basopatti-Kaluahi-[illegible]	123.70	-do-	Madhubani
	Hajipur-Goraul-Muzaffarpur-Runni-Dumra-Sonbarsa	146.00	-do-	Vaishali/Muzaffarpur/Sitamarhi
	Doner (Darbhanga), Bahera-Biraul-Kusheswar Sthan	64.00	-do-	Darbhanga
	Bajitpur-Dalsingsarai-Narhan-/Rosra-Dudhmar-Rajghat-Sindhia	56.00	-do-	Samastipur
	Muzaffarpur-Harpur-Samastipur-Dalsingsarai-Kadrabad-Mobarkbad-Malti	121.20	-do-	Samastipur/Muzaffarpur/Begusarai
	Bethurhi-Kothi-Rosra-Sagi-Manaul-Begusarai-Samahi	78.00	-do-	Samastipur/Begusarai
	Bekhuaghat-Hasanpur-Halipur-[illegible]pura-Baibari-Olapur-Khagaria	64.5	-do-	Samastipur/Begusarai/Khagaria

16.	Kalyanpur-Dholi-Mazaffarpur-Kakarghati	53.0	-do-	Samastipur/Muzaffarpur
17.	Mabeghat (Darbhanga) Kamtaul-Basaitha-Madhwarpur	32.2	-do-	Darbhanga/Madhubani
18.	Muzaffarpur-Sitamarhi-Sonebarsa	91.20	-do-	Muzaffarpur/Sitamarhi
19.	(West Bengal Border) Thakurganj Bahardurganj-Jaunkihati-Araria-Raniganj	118.4	-do-	Kishanganj/Araria
20.	Manihari-Katihar-Purnea-P.Ct. Kasba-Araria-Forbesganj-Jogbani	123.20	-do-	Katihar/Purnia/Katihar
21.	Forbesganj-Raniganj-Sarsi-Meerganj-Falka-Kurseela	116.8	-do-	Araria/Purnia/Katihar
22.	Purnea-Mahendrapur-Kadwa-Salmari Raghunathpur-Abadpur	60.8	-do-	Purnia/Katihar
23.	Purnea-Dhamdaha-Rupauli-Tikapatti Chandipur	69.6	-do-	Purnia
24.	Falka-Kohra-Kadwa-xxx Amdabad	70.4	-do-	Katihar
25.	Bayasi-Amaur-Gerua-Sonya-xx Bahadurganj-Kishanganj-Taiyabpur-Thakurganj-Galgaliya	137.6	-do-	Purnia/Kishanganj
26.	Purnia-Madhepura-Saharsa	97.6	-do-	Purnia/Madhepura
27.	Beerpur-Bihpur Road	147.6	-do-	Supaul/Madhepura/Saharsa/Khagaria
28.	Saharsa-Bangaon-Supaul-Pipra	58.00	-do-	Saharsa/Supaul
29.	Maheshkhoot-(Khagaria) Sonbarsa-Saur Bazar-Baijnathpur	55.00	-do-	Khagaria/Saharsa
30.	[illegible]-xxxxxxxx Raghxxxxxxxxxx [illegible] Raghopur-Bhaptiyahi-Rahariya	[illegible]	-do-	[illegible]/Supaul
1.	Sahpur-Kishanyadav-Mathurapur Bazar	50.0	-do-	Bhagalpur
2.	Siwan-Gopalganj	32.50	-do-	Siwan/Gopalganj
3.	Hajipur-Lalganj-Vaishali	37.5	-do-	Vaishali
4.	Mahua-Muzzaffarpur	28.9	-do-	[illegible]

.	Chapra-Khera-Satarghat	43.75	-do-	Saran/Gopalganj	
36.	Siwan-Barhariya-Sarkorh	33.00	-do-	[illegible]	
37.	Chapra-Madhaura-Amnour	37.4	-do-	Saran	
38.	Sitalpur-Parsa-Maker	27.0	-do-	Saran	
39.	Siwan-Pagambarpur	40.54	-do-	Siwan/Saran	
40.	Mirganj- Kataiya	42.00	-do-	Gopalganj	
41.	More-Pagda	20.0	-do-	Gopalganj	
42.	Mohammadpur-Lakhanpur	20.4	-do-	Gopalganj	
43.	Mirganj-Bhagopatti-Samaur- Via Air Port	38.0	-do-	Gopalganj	
44.	Pachrukhi-Harihargarh-Lalpur	23.0	-do-	Siwan	
45.	Madhubani-Rajnagar-Babubarhi-Khatauna	40.0	-do-	Madhubani	
46.	Hirni-Sindhiya-Behri-Anantpur- Lahariyasarai	49.0	-do-	Samstipur/Darbhanga	
47.	Begusarai-Sanjat-Veepur	27.0	-do-	Begusarai	
48.	Mungerghatt-Rashidpur Road	36.75	-do-	Begusarai	
49.	Samastipur-Srairanjan-Shahpur-Patauri	36.0	-do-	Begusarai	
50.	Bishanpur-Aterbel-Jale-Makeyya	48.4	-do-	Darbhanga/Madhubani	
51.	Rahika-Kenipatti-Pupri	38.5	-do-	Madhubani/Sitamarhi	
52.	Darbhanga-Rahika	29.5	-do-	Darbhanga/~~&~~ Madhubani	
53.	Bisphi-Ausi-Raiyam-Madhubani	23.2	-do-	Madhubani	
54.	Sakri-Behra-Behri	33.5	-do-	Darbhanga	
55.	Jhanjharpur-Madhepura-Tamoriya-Andhardhadi	43.00	-do-	Madhubani	
56.	Madhubani-Rampatti-Jhanjharpur	42.2	-do-	Madhubani	
57.	Jhanjharpur-Makaura (Benipur)	24.00	-do-	Madhubani	
58.	Fulvariya-Chowk-Karhagola	80.00	-do-	Katihar	✓
59.	[illegible]-[illegible]lasi-Tedagachi	34.[illegible]	-do-	Araria/Kishanganj	34 Y
60.	Arariya-Zero Mile to Kursakanta-Sikti	45.4	-do-	Arariya	46 Y
61.	Forbesganj-Kursakonta	29.0	-do-	Arariya	29

1	2	3	4	5
62.	Pipra-Trive[illegible]- [illegible]	[illegible]		
63.	Supaul-Sarahgarh Path	25.0	-do-	Supaul
64.	Maheshkhwt-Parbatta-Aguaie Ghatt	30.0	-do-	Khagariya
65.	Khagariya-Alauli-Jogiya ~~Ghatt~~ Bahadurpur	35.5	-do-	Khagariya
66.	Naugachiya-Tintanga-Kalariya	28.0	-do-	Bhagalpur/Khagariya
67.	North Ganga Approach Road	6.0	-do-	Vaishali
68.	Lalganj-Pakuli	16.4	-do-	Vaishali
69.	Bagaucha-Semra-Koyenrahanba	15.0	-do-	Gopalganj
70.	Bherwa-Daruli	19.0	-do-	Siwan
71.	New Siwan-Hisua	14.2	-do-	Siwan
72.	~~X~~ Siwan-Aander	16.00	-do-	Siwan
73.	Aander-Raghunathpur	12.8	-do-	Siwan
74.	Bhantaphokhar-Jeeradai	4.00	-do-	Siwan
75.	Badarneemi-Keilgarh	5.00	-do-	Siwan
76.	Khansarai-Nawada	4.0	-do-	Gopalganj
77.	Singhvaliya-Baldiha	8.0	-do-	Gopalganj
78.	Majhagarh-Dharamparsa	5.0	-do-	Gopalganj
79.	Sasamusa-Bagaucha	8.0	-do-	Gopalganj
80.	Jigna-Aurai	5.0	-do-	Gopalganj
81.	Harkhaua-Khwajapur	8.0	-do-	Gopalganj
82.	Barauli-Kalyanpur	8.0	-do-	Gopalganj
83.	Babaiya-Link Road	3.0	-do-	Gopalganj

.....5/-

1	2	3	4	5
84.	Sinhwaliya-Jhajhwa	8.80	-do-	Gopalganj
85.	Khutauna-Tanushi	14.5	-do-	Madhubani
86.	Majhaul-Garhpura	13.75	-do-	Begusarai
87.	Majhaul-Kakhri	15.60	-do-	Begusarai
88.	Malipur-Daulatpur	11.86	-do-	Begusarai
89.	Begusarai-Rly Over Bridge Approach Road	2.0	-do-	Begusarai
90.	Garhara-Link Road	2.0	-do-	Begusarai
91.	Teghra-Mubarkpur Road	7.0	-do-	Begusarai
92.	Raiyam-Kevti	7.0	-do-	Darbhanga
93.	Raiyam-Tarsarai	11.0	-do-	Madhubani
94.	Madhubani-Saurauth	9.5	-do-	Madhubani
95.	Shivnagar Ghatt-Ghanshyampur	13.0	-do-	Darbhanga
96.	Horalpatti-Ashok Paper Mill	6.0	-do-	Darbhanga
97.	Batlokiya-Rampatti pandaul	12.5	-do-	Madhubani
98.	Madhubani-Raiyam-Aunsi	13.6	-do-	Madhubani
99.	Raghunthpur-Barsoi-Balrampur	17.0	-do-	Katihar
100.	Kaswa-Kaliyaganj	6.4	-do-	Purnia
101.	Krityanand Nagar-Bhasuria Kohsara	17.6	-do-	
102.	Ugrua-Kasba	19.2	-do-	Purnia
103.	Panchgachiya-Nauhatta	13.0	-do-	Saharsa
104.	Mirganj-Jadiya	19.2	-do-	Madhepura

..........6/-

1.	2.	3.	4.	5.
105.	Supaul-Gamhariya-Shingheshwar	15.00	-do-	Supaul/ Madhepura
106.	Kishanganj-Biharigenj	9.00	-do-	Madhepura
107.	Khajoori-Bhargama	8.80	-do-	Araria
108.	Harda-Satkodriya	6.40	-do-	Arariya
109.	Muktapur-Warisnagar	12.00	-do-	Samastipur

By order of the Governor of
Bihar

(Narendra Pal Singh)
Commissioner and Secretary.

ज्ञापांक वन पर्या०अनु० ९७/७१- 190-E/उ०प्र० भवन १५ दिनांक 16-2-74

प्रतिलिपि- सभी मंत्री/सभी विभागाध्यक्ष/सभी विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिलाधिकारी/सभी उपायुक्त/सभी विभाग के/अभियंता प्रमुख को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

नरेन्द्र

(नरेन्द्र पाल सिंह)
(आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञापांक वन पर्या०अनु० ९७/७१-190-E /वन अनुभाग 15, दि० 16-2-74.

प्रतिलिपि- प्रधान मुख्य वन संरक्षक/सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/सभी वन संरक्षक/सभी वन प्रमण्डल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

नरेन्द्र

(नरेन्द्र पाल सिंह)
आयुक्त एवं सचिव ।

प्रभारी वन क्षेत्र पदाधिकारी
रानीगंज
पत्रांक 62 दिनांक 28/11/23

CC 98/2023

सेवा में

माननीय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी
अररिया।

विषय — S.H.77 के किनारे की अधिसूचित वन भूमि में बिना पूर्वानुमति के मिट्टी भरकर पहुँच पथ निर्माण के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में सूचित करता हूँ कि S.H.77 के किनारे 10वें से 11वें किमी. के बीच ग्राम- कलाबलुआ में श्री छोटू कुमार पिता- मदन यादव ग्राम- बैरख वार्ड नं० 13 थाना- रानीगंज के द्वारा मिट्टी भराई कर पहुँच पथ का निर्माण किया गया है। उक्त सम्बन्ध में वनरक्षी श्री कुन्दन कुमार सिंह के द्वारा अपराध प्रतिवेदन संख्या 0332 दिनांक 27/11/23 दायर किया गया है।

घटनास्थल की जाँच मेरे द्वारा की गई, घटना सत्य पाया। पेट्रोल पम्प के निर्माण हेतु 7.5 मी. x 12.00 मी में दो स्थल पर पहुँच पथ बनाया गया है। S.H.77 के किनारे की भूमि अधिसूचित वन भूमि है, अधिसूचना के क्रमांक- 21 में दर्ज है (प्रतिलिपि संलग्न)। उक्त सम्बन्ध में वन प्रमंडल पदाधिकारी सह प्राधिकृत पदाधिकारी को उचित माध्यम से प्रतिवेदन समर्पित किया जा रहा है। अभियुक्त के द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33'C' का उल्लंघन किया गया है। विस्तृत जाँच (अभियोजन) प्रतिवेदन शीघ्र ही श्रीमान की सेवा में उचित माध्यम से समर्पित की जाएगी।

अतः अनुरोध है कि अभियुक्त - छोटू कुमार पिता- मदन यादव ग्राम- बैरख वार्ड नं० 13 थाना- रानीगंज पर आवश्यक कानूनी कार्यवाही करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन
[signature]
28/11/23
वन परिसर पदाधिकारी
रानीगंज परिसर
मो० 9572175545

अनु० (1) अपराध प्रतिवेदन.
(2) अधिसूचना की प्रति.

XVIII-Form No. 21-A.

Forest Department, Bihar

जंगल विभाग

Book No. 0332

Araria Forest Division, ARARIA

............................डिवीज़न।

Note:- This report is to be submitted within 24 hours of the detection.
नोट— यह रिपोर्ट पकड़े जाने के 24 घंटे के अन्दर दाखिल करना चाहिए।

Offence Report No.................... Date 27/11/2023

जुर्म नम्बर.......................... तारीख.................

1. Place of occurrence-
   घटना स्थल- ग्राम कालाबलुआ N.H 57 के किनारे
2. Date and hour of detection-
   पकड़ने का समय और तारीख-- 9:30 A.M 27/11/2023
3. Name(s), Parentage and residence of offenders-
   नाम अपराधी और उस के पिता का नाम और पता- सोनू कुमार पिता शंकर यादव ग्राम- बैरगाछी वार्ड नं- 13 थाना रानीगंज जिला- अररिया
4. Property seized, if any,-
   जप्ती माल, अगर कोई- शून्य
5. Custody of seized property-
   जप्ती माल का ज़िम्मेवार- —
6. Name(s), parentage and residence of witness(es), if any-
   नाम गवाह और उसके पिता का नाम और पता- धर्मेन्द्र कुमार यादव पिता योगेन्द्र यादव ग्राम- कालाबलुआ थाना रानीगंज जिला- अररिया
7. Nature of offence and facts of the case.
   तफसील और बयान जुर्म- —

सेवा में,

वन क्षेत्र पदाधिकारी
[illegible]

द्वारा - उचित माध्यम

विषय:- N.H. 77 के किनारे ग्राम-कालाबलुआ में अधिसूचित वन भूमि में मिट्टी भराई के सम्बन्ध में

महाशय

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में सूचित करना है कि छोटू कुमार पिता मदन यादव ग्राम-बैरगढ़ के द्वारा N.H. 77 के किनारे (कालाबलुआ ग्राम) अधिसूचित वन भूमि में मिट्टी भराई का कार्य 7.5 मी. × 12.00 मी. में दो स्थान पर किया जाता है। यह कार्य बिना अनुमति प्राप्त किए किया जाता है। अभियुक्त के द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33(c) का उल्लंघन किया गया है।

अतः अभियुक्त पर आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन
कुन्दन कुमार सिंह
वनरक्षी, [illegible]